ई-मेल द्वारा प्रेषित

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्यान भवन, 2-सप्रू मार्ग, लखनऊ 226 001
☎0522-4072539,4044414 Fax: 0522-2621382, E-mail : nmmiup@gmail.com

पत्रांक : ...../MI-45/AAP/2022-23 दिनांक : 07 जुलाई, 2022

(1) समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(2) अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर, झाँसी, अयोध्या एवं रामपुर।

(3) आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद।

विषय :- "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"-माइक्रोइरीगेशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जनपदवार वार्षिक कार्य योजना, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं दिशा-निर्देश का प्रेषण।

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में केन्द्र पुरोनिधानित पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) के कार्यान्वयन हेतु मा. मंत्रिपरिषद् के निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या 32/2022-1240/58-2022-429/2015 उद्यान अनुभाग दिनांक 30.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 (5 वर्ष) तक अतिरिक्त राज्य सहायता (टाप-अप) अनुमन्य योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

1. तद्क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2022 को सम्पन्न राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार जनपदवार ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की कृषक प्रक्षेत्रों पर स्थापना/आपूर्ति, एक दिवसीय कृषकों के प्रशिक्षण, दो दिवसीय मण्डलीय गोष्ठी के आयोजन एवं कृषकों के एक्सपोज़र विज़िट के लक्ष्य इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया भारत सरकार एवं राज्य सरकार के इस फ्लैगशिप एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्ण निष्ठा एवं लगन से निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार कराना सुनिश्चित करें और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अदर इण्टरवेंशन्स अथवा लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल विभाग, सिंचाई विभाग या अन्य स्रोतों से जनपद में विकसित जल श्रोतों का उपयोग करते हुए उस क्षेत्र को क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाये।
2. वार्षिक कार्य योजना में बागवानी एवं कृषि फसलों (गन्ना सहित) के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसका समेकित रूप से क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व जनपदीय उद्यान अधिकारी एवं मण्डलीय उप निदेशक उद्यान का होगा। गन्ना फसल में ड्रिप सिंचाई पद्धति के अंगीकरण एवं योजनान्तर्गत अनुमन्य सुविधा का लाभ गन्ना किसानों को प्राप्त कराने हेतु क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त एवं जिला गन्ना अधिकारी से समन्वय स्थापित कर 1.8X0.6 मीटर, 1.5X0.6 मीटर, 1.2X0.6 मीटर अथवा इससे न्यून लैटरल स्पेसिंग पर ड्रिप सिंचाई पद्धति की स्थापना का कार्य कराते हुए प्रदेश के गन्ना किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।
3. पर ड्राप मोर क्राप के उपघटक "अदर इन्टरवेंशन" एवं पी.एम.कुसुम योजना का कार्यान्वयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है और माइक्रोइरीगेशन योजना का सफल कार्यान्वयन तभी पूर्ण हो सकेगा जब विकसित जल स्रोतों एवं सोलर सिस्टम को ड्रिप/स्प्रिंकलर से सम्बद्ध किया जाय। इस संबंध में निदेशालय के पत्रांक 50 दिनांक 16.06.2021, पत्रांक 201 दिनांक 18.08.2020, पत्रांक 226 दिनांक 11.12.2022 द्वारा 2017-18 से 2020-21 में निर्मित विकसित जल स्रोतों/तालाबों के लाभार्थियों की सूची प्रेषित की गयी है, जिन्हें प्रोत्साहित कर चालू वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत लाभार्थियों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें।
4. प्रदेश के 27 गंगा बेसिन से आच्छादित जनपद, 08 आकांक्षात्मक जनपद, 100 पिछड़े विकास खण्ड, कृषि कल्याण अभियान कार्यक्रम भी प्राथमिकता के क्षेत्र हैं जिन्हें दृष्टिगत रखते हुए जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसका शत-प्रतिशत अनुपालन एवं कन्वर्जेंस के माध्यम से लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाय।

Micro word 2022-23...

5. विश्व बैंक पोषित "अटल भूजल योजना" का नोडल विभाग भूगर्भ जल विभाग है और योजना के कुशल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (SPMU) तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय कार्यक्रम इकाई (DPMU) गठित हैं। अटल भू-जल योजना के अधीन चिन्हित 10 जनपदों में कन्वर्जेंस के माध्यम से चिन्हित 25 विकासखण्डों के 550 ग्राम पंचायतों में 2021-22 से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई स्थापना का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। कार्यक्रम के अधीन पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन अंश के अतिरिक्त कृषक अंश की धनराशि को "अटल भूजल योजना अंश" के रूप में वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है, तद्नुसार 2021-22 के लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के कार्यक्रमों को पूर्ण किया जायेगा।
6. भारत सरकार के मार्ग निर्देश के अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों के लिए, जिसमें 30 प्रतिशत महिला लाभार्थी को लक्षित किया जायेगा ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि में अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति लाभार्थी अथवा जनपद में उपलब्धता के अनुपात में धनराशि का उपयोग किया जाना अनिवार्य है। अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत सामान्य मद की धनराशि मात्राकृत है। कृपया तद्नुसार ही जनपद के लिए निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष अनुदान संख्या-10 एवं 83 के सापेक्ष निर्धारित व्यय लिमिट की सीमान्तर्गत भौतिक कार्य सम्पादित कराते हुए धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
7. योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अधिकृत पोर्टल पर इच्छुक एवं उपयुक्त कृषकों का पंजीकरण का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाये और समानान्तर रूप से आनलाइन स्वीकृति आदेश का निर्गमन एवं कृषक/निर्माता फर्म को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में पंजीकृत कृषकों को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु गत वर्ष की भांति निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

(7.1) 31.03.2022 की तिथि तक आनलाइन पंजीकृत एवं स्वीकृत लाभार्थियों के प्रक्षेत्र पर योजनान्तर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना/आपूर्ति का कार्य पूर्ण एवं जिलाधिकारी द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन, जियो टैगिंग पूर्ण करते हुए बिल जनपदीय उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है और उनके सापेक्ष वस्तु एवं सेवाकर (GST) की धनराशि संबंधित फर्म द्वारा जमा कर दी गयी है, उन लाभार्थी कृषकों को पोर्टल पर अपडेट करते हुए उसी वरीयता क्रम में लाभान्वित किया जायेगा।

(7.2) 01.04.2022 एवं उसके बाद पंजीकृत कृषकों की सूची के अनुसार प्रथम-आवक प्रथम-पावक के आधार पर योजना का लाभ पूर्व की भांति कृषकों को अनुमन्य किया जायेगा। शासनादेश संख्या 32/2022-1240/58-2022-429/2015 दिनांक 30.06.2022 निर्गत होने के पूर्व पंजीकृत कृषकों का पोर्टल पर अपडेशन, नवीन कृषक पावती एवं नया स्वीकृति आदेश संशोधित इकाई लागत एवं अनुदान पैटर्न पर निर्गत किया जायेगा।

(7.3) योजनान्तर्गत कृषकों को निर्गत स्वीकृति आदेश 31.03.2023 तक मान्य होगी।

8. मा. मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 32/2022-1240/58-2022-429/2015 उद्यान अनुभाग दिनांक 30.06.2022 के अनुसार योजना का पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। शासनादेश का प्रमुख अंश निम्नवत् है:-

8.1 पात्रता :

i. सिंचाई के लिए लाभार्थी के पास पानी का श्रोत उपलब्ध हो।
ii. लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के श्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने हेतु सक्षम व सहमत हो।

iii. व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम् 5 हेक्टेयर की सीमा तक ड्रिप सिंचाई, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई पर अनुदान देय होगा, जिसके लिए लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिये।

iv. व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु पोर्टेबल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर के लिए उक्त अधिकतम क्षेत्रफल सीमा 2 हेक्टेयर की होगी, किंतु इस कोटि के कृषकों को ड्रिप सिंचाई/मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर सम्मिलित कर अधिकतम् 5 हेक्टेयर का लाभ अनुमन्य होगा।

v. योजना का लाभ सहकारी समितियों के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी भारत सरकार के आपरेशनल गाइड लाइन्स के अनुसार अनुमन्य होगा।

vi. ऐसे लाभार्थियों/संस्थाओं को भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा जो संविदा खेती (कान्ट्रेक्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी/खेती करते हैं।

vii. एक लाभार्थी कृषक/संस्था को उसी भू-भाग पर दूसरी बार 07 वर्ष के पश्चात् ही योजना का लाभ अनुमन्य होगा।

8.2 पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगशन में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष निम्न व्यवस्था प्राविधानित की जाती है:

i. ड्रिप सिंचाई, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए लघु सीमांत कृषकों को पूर्व की भांति यथावत् 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा सुलभ करायी जाये जो इस अधिक लागतजन्य सिंचाई विधा के अंगीकरण में प्रेरक एवं सहायक होगा। इस प्रस्तावित कुल अनुदान में अनिवार्य राज्यांश के साथ ही लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को 35-35 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टाप-अप) के रूप में सम्मिलित होगा।

ii. कम लागतजन्य पोर्टेबल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर से कृषि फसलों, पत्तेदार सब्जियों, दलहन, तिलहन आदि में उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष लघु सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत कुल अनुदान देय है। इस प्रकार पोर्टेबल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर पर कुल अनुदान में लघु सीमान्त एवं अन्य कृषकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टाप-अप) के रूप में सम्मिलित होगा। अनुदान की यह व्यवस्था आगामी 05 वर्षों (2022-23 से 2026-27 तक) के लिए निम्नवत् होगी:-

वर्ष	आच्छादित क्षेत्र	कम्पोनेन्ट	लाभार्थी श्रेणी	केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)	अतिरिक्त राज्यांश (Top-up)	कुल राज्यांश	कुल अनुदान	लाभार्थी अंश	वस्तु एवं सेवा कर (GST)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए प्रस्तावित अनुदान	प्रदेश के समस्त जनपद	ड्रिप/मिनी /माइक्रो स्प्रिंकलर	लघु एवं सीमान्त कृषक	33%	22%	35%	57%	90%	10%	भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित जी.एस.टी लाभार्थी कृषकों द्वारा वहन किया जायेगा।
			अन्य कृषक	27%	18%	35%	53%	80%	20%	
		पोर्टेबल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर	लघु एवं सीमान्त कृषक	33%	22%	20%	42%	75%	25%	
			अन्य कृषक	27%	18%	20%	38%	65%	35%	

8.3 पंजीकृत निर्माता फर्मों की दरों का निर्धारणः भारत सरकार की आपरेशनल गाइड लाइन्स-2021 में विहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। भारत सरकार की आपरेशनल गाइड लाइन्स- 2021 के प्रस्तर-14 पर निहित व्यवस्था के अनुसार ड्रिप/स्प्रिंकलर के 110 निर्माता फर्मों का पंजीकरण, पंजीकरण तिथि से 5 वर्ष के लिये किया गया है और स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के विभिन्न उपघटकों की दरें पंजीकृत फर्मों द्वारा अलग-अलग दी जाती हैं। कृषक किसी भी निर्माता फर्म से आनलाइन पंजीयन कराते हुए पद्धति की स्थापना/आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होता है। स्वयं मूल्य प्रणाली के कारण कृषकों को निर्माता फर्म के चयन में भ्रम की स्थिति होती है, अधिक मूल्य की स्थिति में व्यय भार भी अधिक पड़ता है। प्रदेश में प्रमुखता से कार्य कर रही दस निर्माता फर्मों के घटकवार दरें वित्तीय वर्ष के आरम्भ में प्राप्त कर एक औसत दर निर्धारित किया जाय और उसी दर पर कार्य करने हेतु सहमति देने वाली निर्माता फर्मों को योजनान्तर्गत कार्य करने हेतु अधिकृत किया जायेगा।

8.4 डी.बी.टी. प्रक्रिया से अनुदान अन्तरणः- डी.बी.टी प्रक्रिया से अनुदान अंतरण की कार्यवाही योजना विषयक गाइडलाइन में निहित प्राविधानों तथा निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार की जायेगीः-

i. विभागीय वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम-आवक प्रथम-पावक के सिद्धांत पर चयनित कर लाभान्वित किया जायेगा।

ii. योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और प्रमुखता के कार्य करने वाले 10 निर्माता फर्मों के औसत मूल्य के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म से आपूर्ति/स्थापना का कार्य लाभार्थी कृषक द्वारा स्वयं व्यय करने पर शासकीय अनुदान की धनराशि डी.बी.टी के माध्यम से लाभार्थी कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में अनुदान की राशि आधार सीडेड ऋण खाते में अंतरित की जायेगी। अनुमन्य कृषक अंश की धनराशि लाभार्थी द्वारा नकद अथवा ड्राफ्ट के रूप में संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिक डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर को किया जायेगा।

    लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना हेतु अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि अग्रिम रूप में निर्माता फर्म को निजी श्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी.डी.सी) संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर को हस्तगत किया जायेगा।

iii. लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति, जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, की संतोषजनक रिपोर्ट, जियो टैगिंग एवं निर्माता फर्म को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन पी.एफ.एम.एस/एन.ई.एफ.टी./आर. टी.जी.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के आधार सीडेड ऋण खाते में किया जायेगा।

iv. योजना में ऋण के संबंध में लाभार्थी कृषक तथा संबंधित द्वारा बैंक ऋण की औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

9. भारत सरकार के आपरेशनल गाइड लाइन-2021 के प्रस्तर-9 एवं 11 के अनुसार पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश को बी-श्रेणी में चिन्हित करते हुए 15 प्रतिशत उच्च लागत के साथ अनुदान गणना किये जाने की उल्लेख किया गया है। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत एवं बी-श्रेणी के लिए अनुमन्य 15 प्रतिशत उच्च इकाई लागत की गणना निम्नानुसार करते हुए योजना का कार्यान्वयन शासनादेश संख्या शासनादेश सं0 32/2022-1240/58-2022-429/2015 उद्यान अनुभाग दिनांक 30.06.2022 के अनुसार पी.एफ.एम.एस पद्धति से किया जायेगा:-

ड्रिप इरीगेशन सिस्टम (**Drip Irrigation System in states with low penetration**) (धनराशि रू में)

Spacing (mxm)	0.2 ha	0.4 ha	1 ha	2 ha	3 ha	4 ha	5 ha
12x12	12105	20710	28274	44962	69810	86849	110591
10x10	12482	21450	30109	48560	75310	94329	119935
9x9	12755	21981	31399	51139	79181	99597	126527
8x8	13030	22667	33094	54412	84263	106507	135159
6x6	14260	24947	39890	66685	107741	130661	163951
5x5	15115	27009	45285	77279	111676	141921	190687
4x4	16792	27975	47765	83719	130594	170987	203508
3x3	18161	30119	54913	95052	146402	184119	230523
2.5x2.5	22444	40702	78469	142848	218183	306215	374018
2x2	27522	47498	95547	185453	269421	374289	459418
1.5x1.5	32322	54044	111832	213122	318282	439583	540852
2.5x0.6	23231	40250	82493	151597	231684	321735	394948
1.8x0.6	28255	49441	105295	199293	299998	408621	508857
1.5x0.6	32203	57634	125960	239039	360995	488967	610541
1.2x0.6 (or lower spacing)	36151	65827	146626	278786	421992	569313	712224

11.3 पोर्टेबल स्प्रिंकलर

Area	Pipe Dia. (mm)			
	63		75	
	GoI	U.P (+15%)	GoI	U.P (+15%)
Upto 0.4 ha	13211	15193	NA	NA
Upto 1 ha	21588	24826	24194	27823
Upto 2 ha	31167	35842	34657	39856
Upto 3 ha	NA	NA	NA	NA
Upto 4 ha	NA	NA	NA	NA
Upto 5 ha	NA	NA	NA	NA

11.4 माइक्रो स्प्रिंकलर

Area (ha)	Spacing (mxm)			
	5 x 5		3x 3	
	GoI	U.P (+15%)	GoI	U.P (+15%)
0.4	32713	37620	38263	44002
1	65102	74867	74259	85398
2	114426	131590	133821	153894
3	164937	189678	191078	219740
4	222721	256129	263852	303430
5	281557	323791	321462	369681

11.5 मिनी स्प्रिंकलर

Area (ha)	Spacing (mxm)			
	10 x 10		8x 8	
	GoI	U.P (+15%)	GoI	U.P (+15%)
0.4	45694	52548	47528	54657
1	94134	108254	103873	119454
2	176766	203281	187929	216118
3	268422	308685	290935	334575
4	345497	397322	380031	437036
5	423236	486721	469890	540374

11.6 लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर

Area (ha)	Pipe Dia. (mm)			
	63		75	
	GoI	U.P (+15%)	GoI	U.P (+15%)
Upto 1	31684	36437	38127	43846
Upto 2	NA	NA	48370	55626
Upto 3	NA	NA	NA	NA
Upto 4	NA	NA	NA	NA
Upto 5	NA	NA	NA	NA

10.<u>प्रथम आवक-प्रथम पावक सिद्धान्त का परिपालनः</u>

शासनादेश सं0 32/2022-1240/58-2022-429/2015 उद्यान अनुभाग दिनांक 30.06.2022 के अनुसार प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धान्त पर योजना का कार्यान्वयन पारदर्शी ढंग से किया जायेगा। तद्क्रम में निदेशालय के पत्रांक 346 दिनांक 10.10.2019 द्वारा पूर्व में निम्नानुसार त्रिस्तरीय प्रक्रिया के अनुपालन की व्यवस्था निर्धारित है:

i. पोर्टल पर आनलाइन पंजीकृत कृषकों की सूची के आधार पर कृषकों से आवश्यक अभिलेख प्राप्त किया जाय।
ii. आनलाइन पंजीकृत कृषकों से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर कृषकों की सूची पंजिका में क्रमबद्ध किया जाय और तद्नुसार प्रथम आवक प्रथम-प्रथम पावक के सिद्धान्त पर आनलाइन स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाय।
iii. स्वीकृति आदेश के पश्चात् निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पद्धति की स्थापना का कार्य पूर्ण कराया जाय और निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा निर्माता फर्म के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा आथेंटिकेटेड प्रस्तुत बिलों को अलग पंजिका में क्रमबद्ध किया जाय और प्रस्तुतकर्ता को प्राप्ति सुलभ कराते हुए प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धान्त पर भुगतान की कार्यवाही की जाय।

11. प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास : वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों/कृषि विज्ञान केन्द्रों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण, मण्डल स्तर पर गोष्ठी एवं प्रदेश के बाहर कृषक भ्रमण के कार्यक्रम लक्षित हैं जिनका कार्यान्वयन अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार पूर्ण किया जाय। जनपद स्तरीय प्रशिक्षण, मण्डलीय गोष्ठी एवं एक्पोजर विजिट की तिथि की सूचना एक सप्ताह पूर्व निदेशालय को भी अनिवार्यतः दी जाय। योजनान्तर्गत प्राथमिकता पर स्वीकृत लाभार्थी कृषकों का ही प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाय।

12. **जियो टैगिंग** :योजनान्तर्गत स्थापित/आपूर्तित ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई संयंत्रों का शत-प्रतिशत जियो टैगिंग भारत सरकार के Bhuvan platform पर अनिवार्य रूप से किया जाये और स्क्रीन शाट की प्रति बिल के साथ संरक्षित किया जाय।

13. **स्थलीय सत्यापनः** योजना का शत-प्रतिशत सत्यापन जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जनपद में कुल किये गये कार्य का न्यूनतम 25 प्रतिशत भौतिक सत्यापन मण्डलीय उपनिदेशक उद्यान द्वारा अनिवार्यतः किया जायेगा। सत्यापन हेतु निर्धारित चेक लिस्ट संलग्न है।

14. योजनान्तर्गत स्थापित होने वाले माइक्रोइरीगेशन पद्धति के नियमित निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के स्तर पर सिस्टम स्थापित करने के उपरान्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नेशनल कमेटी आन प्लास्टीकल्चर एप्लीकेशन इन हार्टीकल्चर (एन.सी. पी.ए.एच)/पी.एफ.डी.सी, सीपेट, बी.आई.एस, मण्डलीय नोडल अधिकारी, विभागीय अन्य अधिकारी अथवा एतद्द्वारा नामित मूल्यांकन एजेन्सी/संस्था के प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर अथवा रैन्डम आधार पर स्थापना तिथि से 3 वर्ष तक निरीक्षण किया जा सकेगा। अतः जो भी सिस्टम स्थापित किये जा रहे हैं वे पूर्णतया कार्यशील एवं प्रभावी रखे जायें और निरीक्षण के समय पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की इस प्राथमिकता परक/फ्लैगशिप योजना के अन्तर्गत माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित वार्षिक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति शासनादेश संख्या-32/2022-1240/58-2022-429/2015 दिनांक 30.06.2022 एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों/विभागीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाये और निर्धारित प्रारूपों पर मासिक प्रगति रिपोर्ट ई-मेलnmmiup@gmail.com पर माह की 5वीं तिथि तक आनलाइन एवं आफ लाइन सतत् रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु जनपदवार वार्षिक कार्य योजना अर्न्तगत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, सत्यापन के चेक लिस्ट संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

(आर.के तोमर)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या 95 **/उक्त दिनांक।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सचिवालय, लखनऊ।
2. निदेशक, (आर.एफ.एस), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति, पी.एम.के.एस.वाई., उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उद्योग, 17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश।
8. संयुक्त निदेशक, उद्यान/शाकभाजी/खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय, लखनऊ।
9. समस्त नामित मण्डलीय नोडल अधिकारी।
10. समस्त उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
11. मुख्य उद्यान विशेषज्ञ/सिट्रस विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती/सहारनपुर/मलिहाबाद (लखनऊ)/खुशरूबाग (इलाहाबाद) एवं बरूआसागर (झाँसी)।
12. समस्त पंजीकृत निर्माता फर्म को ई-मेल द्वारा अनुपालनार्थ प्रेषित।

(आर.के तोमर)
निदेशक